

राजस्थान सरकार

कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, करौली

क्रमांक:- सहायता/नागरिक सुरक्षा/2020/15997

दिनांक - 14/09/2020

संयुक्त शासन सचिव

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
जयपुर राजस्थान।

विषय:- बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों पर नियुक्त स्वयंसेवकों को मानदेय भुगतान बावत्।

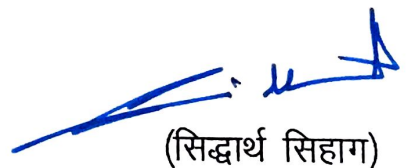
प्रसंग:- आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक एफ 2(1)(21) आ.
प्र.स./लेखा/बजट/2016/11628 दिनांक 27.08.2020 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.35(1)(1) नागरिक सुरक्षा/सहायता/2020/13729 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा माह जून-2020 से अगस्त-2020 (दिनांक 19.06.2020 से 31.08.2020) तक बाढ़ बचाव एवं रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु मानसून सत्र के दौरान 12 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की ड्यूटी राउण्ड द क्लॉक लगायी गयी थी। अतः नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको हेतु माह जून-2020 से अगस्त-2020 तक कुल 881 दिवस (590/-रु. प्रति दिवस) के हिसाब से कुल राशि 519790/- (अक्षरे रुपये पांच लाख उन्नीस हजार सात सौ नब्बे) का भुगतान किया जाना है।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.35(1)(1) नागरिक सुरक्षा/सहायता/2020/15880 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा माह सितम्बर-2020 (दिनांक 04.09.2020 से 30.09.2020) तक बाढ़ बचाव हेतु 12 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की ड्यूटी राउण्ड द क्लॉक लगायी गयी है, उक्त नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको हेतु कुल 324 दिवस (590/-रु. प्रति दिवस) के हिसाब से कुल राशि 191160/- (अक्षरे रुपये एक लाख इक्यानवे हजार एक सौ साठ) का भुगतान भी होना है।

अतः नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको हेतु बजट मद 2245-01-800-04-04-41 में कुल राशि 710950/- (अक्षरे रुपये सात लाख दस हजार नौ सौ पचास) का आवंटन करवाये जाने का श्रम करे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(सिद्धार्थ सिहाग)

नियंत्रक (जिला कलक्टर)

नागरिक सुरक्षा करौली

0/1